झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग

प्रथम तल्ला, झारखण्ड राज्य हाउसिंग बोर्ड (पुराना मुख्यालय), हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची – 834002.

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दामोदर घाटी निगम (डी०वी०सी०) ने (1) वर्ष 2022 – 23 का True-up, वर्ष 2023-24 का Annual Performance Review (APR), तथा वर्ष 2024-25 का ARR & Tariff एवं (2) झारखण्ड राज्य मे 11 KV और उससे कम वोल्टेज स्तर पर उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी के लिए व्यवसाय योजना करते हुए विद्युत वितरण दर निर्धारण करने हेतु आयोग के समक्ष आवेदन दिया है ।

विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत वितरण दर निर्धारण करने के पूर्व उल्लेखित आवेदन पर झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग, राँची के द्वारा जन-सुनवाई निम्नलिखित तिथियों को उनके सामने दर्शाये गए समय एवं स्थानों पर होना सुनिश्चित किया गया है :-

कम्पनी का नाम	जन-सुनवाई की तिथि एवं समय	जन-सुनवाई का स्थान
दामोदर घाटी निगम (डी०वी०सी०)	03.09.2024 (मंगलवार) को 12:30 बजे अपराह्न से	मृदा संरक्षण कार्यालय का सभागार, डीवीसी आईबी के सामने, कोरा पीएस के पास, हजारीबाग
	04.09.2024 (बुधवार) को 11:30 बजे पूर्वाह्न से	प्रशासनिक भवन का सभागार, डीवीसी, मैथन, धनबाद

अतः सभी इच्छुक व्यक्ति/संस्था, उपभोक्ता समूह एवं विज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जन-सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सुझाव, आपत्तियाँ एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

आदेशानुसार

राजेन्द्र

सचिव